



न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 32/2012 अंतर्गत धारा-78 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2012/00007)

अनवान:

1. परमाराम पुत्र स्व. कुम्भाराम जाट निवासी सुरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर।

बनाम

1. शांति पुत्री केशूराम जाट निवासी सुरतसिंहपुरा तहसील व जिला बीकानेर वगैरह।

3.624

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत अनुपस्थित। अभिभाषक अपीलांत एवं अपीलांत को बार-बार आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाए जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलांत उपस्थित हुए एवं न ही अपीलांत स्वयं उपस्थित हुए। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 3, 5 ता 8 व 10 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.09.2012 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 03.06.2024 को सुनाया गया।

(Handwritten Signature)
(वन्दना सिधवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर